

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. -33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]
No. 424]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2007/भाद्र 29, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2007/BHADRA 29, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 606(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1-106 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ), दिनांक 21-3-2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित शुद्धि पत्र संख्या सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 20-9-2005, सा.का.नि. 159(अ) दिनांक 16-3-2006 और सा.का.नि. 575 (अ), दिनांक 19-9-2006 के साथ पठनीय, में पृष्ठ 1 पर नियम 1, उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित पढ़ा जाए, अर्थात् :—

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2(ii) मद संख्या क. 16.06, क. 16.09, क. 16.10, क. 16.15, क. 16.30 और क. 16.41 के जो 20-9-2008 को प्रवृत्त होंगे।”

[फा. सं. पी. 15025/44/2002-पी.एच. (फूड)]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th September, 2007

G.S.R. 606(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 185 (E) dated 21st March, 2005 [Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 1-106 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum G.S.R. 596(E), dated 20th September, 2005, G.S.R. 159(E), dated 16th March, 2006 and G.S.R. 575(E) dated 19th September, 2006 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 57, Sub-rule (2) of rule 1, shall read as follow :—

“(2) They shall come into force after six months from the date of publication in the Official Gazette except items Nos. A.16.06, A.16.09, A.16.10, A.16.15, A.16.30 and A.16.41 of rule 2 (ii) which shall come into force on 20-9-2008.”

[F. No. P. 15025/44/2002-PH(F)]

B.K. PRASAD, Jt. Secy.